दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 18 दिसंबर, 2023

मू.वि.या. (वाणिज्य) 180/2022 और अं.आ. 5632/2022

समाश लेज़र लिमिटेड .... याचिकाकर्ता

द्वारा: डॉ. अमित जॉर्ज, श्री ऋषभ धीर, श्री राया दुर्गम भारत और श्री अर्कनील भौमिक, अधिवक्तागण

बनाम

अम्बियंस कमर्शियल डेवलपर्स पी. प्राइवेट लिमिटेड .... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री किट्टू बजाज, अधिवक्ता

मू.वि.या. (वाणिज्य) 181/2022 और अं.आ. 5635/2022

स्मैश लिज़र लिमिटेड .... याचिकाकर्ता

द्वारा: डॉ. अमित जॉर्ज, श्री ऋषभ धीर, श्री राया दुर्गम भारत और श्री अर्कनील भौमिक, अधिवक्तागण

बनाम

अम्बीयंस डेवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड ....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री किट्टू बजाज, अधिवक्ता

मू.वि.या. (प्रवर्तन) (वाणिज्य) 134/2022 और नि.आ. (मु.वा.) 3191-92/2022

मेसर्स अंबिएंस डेवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड

..... डिक्री धारक

द्वारा: सुश्री किट्टू बजाज, अधिवक्ता

बनाम

मेसर्स स्मैश लीजर लिमिटेड ..... निर्णय देनदार

द्वारा: डॉ. अमित जॉर्ज, श्री ऋषभ धीर, श्री राया दुर्गम भारत और श्री अर्कनील भौमिक, अधिवक्तागण

कोरम:
माननीय सुश्री न्यायाधीश ज्योति सिंह

निर्णय

न्या.ज्योति सिंह

1. मू.वि.या. (वाणिज्य) 180/2022 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद '1996 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के तहत दायर एक याचिका है, जिसे उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अधिनियम, 2015 की धारा 13 (1) के साथ पढ़ा गया है, जिसमें मध्यस्थता मामले संख्या 116/2020 में

विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित मध्यस्थ दिनांक 16.11.2021 के मध्यस्थ अधिनिर्णय को चुनौती दी गई है, जिसका शीर्षक *'अंबियंस कमर्शियल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स स्मैश लीजर लिमिटेड'* है। मू.वि.या. (वाणिज्य) 181/2022 को मध्यस्थ मामले संख्या 115/2020 में विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित आक्षेपित मध्यस्थ अधिनिर्णय दिनांक 23.12.2021 के खिलाफ दायर किया गया है, जिसका शीर्षक '*अंबिएंस डेवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स स्मैश लीजर लिमिटेड'* है। इन दोनों याचिकाओं में तथ्यों, समान पक्षों और कानून के समान प्रश्नों के कारण, उन्हें एक साथ सुना गया और इसको समान निर्णय द्वारा निपटाया गया ।

<u>मू.वि.या. (वाणिज्य) 180/2022</u>

2. याचिका से प्रासंगिक और उभरने वाली हद तक तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जो *अन्य बातों के साथ-साथ* गेमिंग और मनोरंजन केंद्रों के व्यवसाय में शामिल है, जो वर्चुअल रियलिटी के नेतृत्व वाले मनोरंजन गेमिंग सेंटर, मोटर और बाइक रेसिंग सिमुलेटर, ट्वाइलाइट बॉलिंग जोन और गो-कार्टिंगट्रैक स्थापित करने में शामिल है। प्रत्यर्थी एक रियल एस्टेट समूह है जो दिल्ली/एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों में एकीकृत टाउनशिप, आवासीय और वाणिज्यिक

परिसरों, खुदरा, आईटी और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, आतिथ्य, सुविधा प्रबंधन और शिक्षा के कारोबार में लगा हुआ है।

3. प्रत्यर्थी ने वसंत कुंज, फेज-II, नई दिल्ली में स्थित 33415 वर्ग मीटर भूमि के एक वाणिज्यिक भूखंड पर एक शॉपिंग मॉल यानी बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर का निर्माण किया, जिसमें खुदरा, वाणिज्यिक, मनोरंजन और अन्य उद्देश्यों जैसे डिपार्टमेंट स्टोर, रिटेल स्टोर, सुपरमार्केट, सिनेमा, भोजनालय, इनडोर गेम कोर्ट, फूड कोर्ट, रेस्तरां आदि के लिए स्थान शामिल हैं।

4. सुपर एरिया वाले परिसर के लिए याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच दिनांक 01.08.2017 को पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था। माप में क्षेत्र 48006 वर्ग कि. मी.पहली मंजिल, अंबिएंस मॉल, वसंत कुंज, फेज-II, नई दिल्ली ('पट्टेदारी परिसर') में जनता के मनोरंजन के लिए गेंदबाजी गलियों और अन्य गतिविधियों वाले एक मनोरंजन केंद्र के संचालन और प्रबंधन के लिए। पट्टे की अवधि 20 वर्ष थी। पट्टा विलेख की धारा 2 के अनुसार किराया देय था और धारा 4 ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिभूति जमा करने पर विचार किया। 01.03.2018 को , पक्षों ने पट्टा विलेख के लिए एक परिशिष्ट निष्पादित किया जिसके तहत वे इस बात पर सहमत हुए कि 28.10.2017 से 27.10.2018 के बीच देय सामान्य क्षेत्र रखरखाव शुल्क 28.10.2018 से 27.10.2019 तक स्थगित हो जाएगा।

5. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि 2018 में, याचिकाकर्ता की मूल कंपनी, स्मैश एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड विस्तार और पूर्व-सहमत अधिग्रहण के लिए निजी इक्विटी फंडिंग जुटाने में सफल रही। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन में खुद को सूचीबद्ध करने का भी प्रयास किया गया था। हालांकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, लिस्टिंग पूरी नहीं हो सकी और याचिकाकर्ता के साथ मूल कंपनी को भारी नुकसान हुआ। याचिकाकर्ता ने अपनी मूल कंपनी के साथ घाटे की वसूली के लिए निवेश प्राप्त करने का प्रयास किया, हालांकि, प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण कोई प्रस्तावित लेनदेन पूरा नहीं किया जा सका। कोविड-19 में भी यही हुआ और प्रस्तावित निवेश रोक दिए गयें ।

6. वित्तीय संकट के कारण, याचिकाकर्ता को दिनांक 20.02.2020 को समाप्ति पत्र के माध्यम से पट्टा विलेख को समाप्त करने के लिए विवश किया गया था। समापन पत्र में ही, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी से अनुरोध किया था कि वह याचिकाकर्ता को पट्टेदारी परिसर से अपना सामान और उपकरण हटाने की अनुमति दे। समापन पत्र के जवाब में, प्रत्यर्थी ने अपने पत्र दिनांकित 13.03.2020 के माध्यम से याचिकाकर्ता को पत्र प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर माल और उपकरणों को हटाने की अनुमति दी। मार्च, 2020 के महीने में भारत में महामारी के बढ़ते मामलों के कारण और देशव्यापी लॉकडाउन के बाद, याचिकाकर्ता सामान हटाने में असमर्थ था। महामारी कोविड-19 के बीच में,

प्रत्यर्थी ने अपने ई-मेल दिनांकित 25.09.2020 के माध्यम से पट्टा विलेख में निहित विवाद मध्यस्थता धारा 25 प्रभावी हुआ और इसके द्वारा न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीशों के नाम प्रस्तावित किए गए, जिसमें याचिकाकर्ता से अनुरोध किया गया कि उनमें से केवल एक को मध्यस्थ के रूप में नामित किया जाए।

7. विरोध के बावजूद, प्रत्यर्थी ने एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया और इस संबंध में मध्यस्थ को 07.10.2020 को एक संचार भेजा, जिसमें मध्यस्थ से 1996 के अधिनियम की धारा 12 के तहत एक घोषणा देने का भी अनुरोध किया गया। एकतरफा नियुक्ति से व्यथित, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ को 08.10.2020 को लिखा कि दोनों पट्टा विलेखों के तहत मध्यस्थता धारा में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं है जहां पट्टेदारी के लिए पट्टेदार द्वारा किए गए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के प्रस्ताव को प्रतिग्रहण नहीं करता है। याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ से नियुक्ति के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करने का अनुरोध किया क्योंकि याचिकाकर्ता 1996 के अधिनियम की धारा 11 (5) के संदर्भ में नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी से संपर्क करेगा ।

8. 12.10.2020 को, मध्यस्थ ने धारा 12 (1) (ख) के तहत घोषणा प्रस्तुत की और याचिकाकर्ता के वकील से प्राप्त अनुरोध पर, प्रारंभिक सुनवाई को 19.10.2020 के बजाय 27.10.2020 के लिए पुनर्निर्धारित किया।

27.10.2020 को, याचिकाकर्ता प्रारंभिक सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ और अपने अधिकारों और तर्कों के पूर्वाग्रह के बिना कहा कि विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास किया जाएगा और यह आदेश में दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि दिनांक 27.10.2020 के ईमेल में प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित तीन नामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कार्यवाही को 09.11.2020 तक स्थगित कर दी गई।

9. 09.11.2020 को सुनवाई का आदेश पत्र जारी किया गया, याचिकाकर्ता के वकील के बयान को दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया कि मध्यस्थ की नियुक्ति के खिलाफ आपत्ति वापस ली जाती है। यदि 10.11.2020 तक दोनों पक्षों के बीच कोई अनुबंध नहीं हुआ तो प्रत्यर्थी को दावे का विवरण दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। चूंकि विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया जा सका, इसलिए 17.11.2020 को प्रतिवादी द्वारा दावे का विवरण 1996 के अधिनियम की धारा 17 के तहत एक आवेदन के साथ दायर किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को पट्टे पर दिए गए परिसर से बेदखल करने और खाली और शांतिपूर्ण कब्जे को सौंपने के लिए राहत मांगी गई थी। दावे के बयान में, प्रतिवादी ने पेंडेंट लाइट के साथ बकाया किराया, बिजली, पानी के शुल्क आदि जैसे विभिन्न शीर्षकों के तहत 17,34,34,068.37 रुपये और

मध्यस्थता की लागत तथा वकील के शुल्क के साथ वसूली 24% प्रति वर्ष तक भविष्य interest@ का दावा किया ।

10. 27.11.2020 को याचिकाकर्ता की ओर से पट्टे पर दिए गए परिसर को खाली करने के निर्देश के लिए स्थगन की मांग की गई थी और मामले को 05.12.2020 को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल नहीं हुआ और उसने बचाव बयान दाखिल नहीं किया । अंत में 08.01.2021 को प्रत्यर्थी को सौंप दिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा दो गवाहों के शपथ पत्रों के माध्यम से साक्ष्य का नेतृत्व किया गया था, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हो रहा था, इसलिए गवाहों से जिरह नहीं की गई । प्रत्यर्थी ने लिखित दलीलें दायर कीं और अंत में विद्वत मध्यस्थ द्वारा बकाया किराया/व्यावसायिक शुल्क, सामान्य क्षेत्र रख-रखाव (सी.ए.एम), बिजली, पानी, एलपीजी और विलंब भुगतान शुल्क के लिए प्रत्यर्थी के पक्ष में रूपये 11,67,73,536/- की राशि प्रदान करते हुए दिनांक 16.11.2021 को विवादित अधिनिर्णय पारित किया गया। अधिनिर्णय की सूचना को तारीख से दो महीने के भीतर राशि का भुगतान किया जाना था, जिसमें विफल रहने पर याचिकाकर्ता अधिनिर्णय की तारीख से प्राप्ति तक उपरोक्त राशि पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। कार्यवाही की लागत और वकील के शुल्क के लिए रुपये 20,00,000/- की राशि प्रदान की गई थी।

<u>म्.वि.या. (वाणिज्य) 181/2022</u>

11. वर्तमान याचिका में अतिरिक्त/भिन्न तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच 04.08.2017 को पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, जिसमें चौथी मंजिल, अंबियंस मॉल कॉम्प्लेक्स, गुड़गांव ('विलेख परिसर') पर 42,500 वर्ग फुट का सुपर एरिया था, जिसमें एक मनोरंजन केंद्र का संचालन और प्रबंधन किया गया था, जिसमें गेंदबाजी एले और अन्य गतिविधियां शामिल थीं। पट्टे की अवधि 12 साल 1 महीने और 22 दिन थी। पट्टा विलेख की खंड 2 के अनुसार किराया देय था और खंड 4 में याचिकाकर्ता द्वारा सुरक्षा जमा पर विचार किया गया था। 01.03.2018 को, पार्टियों ने पट्टा विलेख के लिए एक परिशिष्ट निष्पादित किया जिसके तहत वे सहमत हुए कि 28.10.2017 से 27.10.2018 के बीच देय सामान्य क्षेत्र रखरखाव शुल्क 28.10.2018 से 27.10.2019 तक स्थगित कर दिए जाएंगे।

12. वित्तीय संकट के कारण, याचिकाकर्ता को दिनांक 20.02.2020 के समापन पत्र के माध्यम से पट्टा विलेख को समाप्त करने के लिए विवश किया गया था। समापन पत्र में ही याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी को अनुमति देने का अनुरोध किया ताकि याचिकाकर्ता अपने माल और उपकरणों को पट्टे के परिसर से हटा ले ।

13. कोविड-19 महामारी के बीच, प्रत्यर्थी ने अपने ई-मेल दिनांकित 25.09.2020 के माध्यम से पट्टा विलेख में निहित विवाद समाधान खंड 25

को लागू किया और इस न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीशों के नाम प्रस्तावित किए, जिसमें याचिकाकर्ता से अनुरोध किया गया कि वे उनमें से एक को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित करें। 06.10.2020 दिनांकित ई-मेल के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने तीनों नामों की अपनी अस्वीकृति के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया।

14. आपत्ति के बावजूद, प्रत्यर्थी ने एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया और दिनांक 07.10.2020 के पत्र के माध्यम से विद्वान मध्यस्थ को नियुक्ति की सूचना देते हुए लिखा और मध्यस्थ से 1996 के अधिनियम की धारा 12 के तहत एक घोषणा देने का अनुरोध किया। एकतरफा नियुक्ति से व्यथित, याचिकाकर्ता ने नियुक्ति के खिलाफ आपत्तियों को रिकॉर्ड में लेने के लिए 08.10.2020 को मध्यस्थ को लिखा और मध्यस्थ को यह भी बताया कि वह 1996 के अधिनियम की धारा 11 (5) के तहत नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी से संपर्क करेगा। 27.10.2020 को प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को पत्र लिखकर यह स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित तीन नामों पर आपत्ति जताई थी। मध्यस्थ द्वारा 27.10.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रारंभिक सुनवाई की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने अधिकारों और दलीलों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के भाग लिया और कहा कि वह विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करेगा। मामले क 09.11.2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और याचिकाकर्ता के वकील ने मध्यस्थ के समक्ष कहा कि

याचिकाकर्ता मध्यस्थ की नियुक्ति के खिलाफ अपनी आपत्ति पर जोर नहीं दे था, तदनुसार, आपत्ति को वापस लेने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता न तो कार्यवाही में उपस्थित हुआ और न ही बचाव का बयान दायर किया और इसे दायर करने का अधिकार बंद होने के बाद, प्रत्यर्थी ने साक्ष्य का नेतृत्व किया और दिनांक 23.12.2021 को विवादित अधिनिर्णय पारित करते हुए बकाया किराया, सामान क्षेत्र रखरखाव शुल्क ,बिजली, पानी, एल. पी. जी. और विलंब भुगतान शुल्क के लिए प्रत्यर्थी के पक्ष में रुपये 5,69,47,333/- की राशि का भुगतान अधिनिर्णय की सूचना की तारीख से दो महीने के भीतर भुगतान किया जाना था, जिसमें विफल रहने पर याचिकाकर्ता अधिनिर्णय की तारीख से वसूली तक उपरोक्त राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना था। मध्यस्थता कार्यवाही में लागत और वकील की फीस की के लिए रुपये 10,00,000/- की राशि प्रदान करने का अधिनिर्णय दिया गया ।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया पहला और सबसे महत्वपूर्ण दलील, जो दोनों याचिकाओं में समान है, यह है कि विवादित अधिनिर्णय प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि नियुक्ति एक एकतरफा नियुक्ति थी। आरंभ से ही, याचिकाकर्ता विद्वान मध्यस्थ की नियुक्ति का विरोध कर रहा था। उत्तरदाताओं ने कोविड-19 महामारी के बीच मध्यस्थता खंड 25 को लागू किया था और 06.10.2020 दिनांकित ईमेल के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तावित तीन नामों की अपनी स्पष्ट अस्वीकृति के बारे में सूचित किया था, जिसके बावजूद प्रत्यर्थियों ने 07.10.2020 को विद्वान मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े। 07.10.2020 को याचिकाकर्ता ने विद्वान मध्यस्थ को पत्र लिखकर एक तरफा नियुक्ति करने में के दुर्भावनापूर्ण आचरण से भी अवगत कराया और कहा कि याचिकाकर्ता मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 1996 अधिनियम की धारा 11(5) का सहारा लेगा। तर्क यह है कि इस संबंध में कानून की स्थापित स्थिति को देखते हुए मध्यस्थता न्यायाधिकरण की एकतरफा नियुक्ति को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। ***पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी और अन्य बनाम आईएचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, (2020) 20 एससीसी 760*** में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी की स्वायत्तता और पार्टियों की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर जोर दिया था। अपनी पसंद के मध्यस्थों को नामित करने के लिए मध्यस्थता अनुबंध पर भी भरोसा रखा गया इस तर्क का समर्थन करने के लिए ***प्रोद्दातुर केबल टीवी डिजी सर्विसेज बनाम सिटी केबल नेटवर्क लिमिटेड, 2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 350*** में इस न्यायालय का निर्णय का भी सहारा लिया गया ।

16. यह आगे तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थियों ने मध्यस्थ को गलत तरीके से सूचित किया था कि उन्होंने नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक पूर्व-आवश्यकताओं का अनुपालन किया था, इस तथ्य को छिपाते हुए कि प्रत्यर्थियों द्वारा मध्यस्थ

को 07.10.2020 पर संवाद करने से केवल एक दिन पहले, याचिकाकर्ता ने 06.10.2020 को पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तावित 3 नामों की अपनी स्पष्ट अस्वीकृति को दिनांक 25.09.2020 को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया था। वास्तव में, प्रत्यर्थियों ने मध्यस्थ को संबोधित अपने दिनांक 27.10.2020 के ई-मेल में स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने एकमात्र मध्यस्थ को नामित करने के उद्देश्य से प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तावित तीन नामों के पैनल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था। चूंकि एकतरफा नियुक्ति के कारण मध्यस्थ अयोग्य था, इसलिए विवादित अधिनिर्णय केवल इसी आधार पर बर्खास्त करने योग्य हैं।

17. प्रत्यर्थियों ने मध्यस्थ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दिए गए बयान पर अधिक जोर दिया है और दिनांक 09.11.2020 के आदेश पत्र में दर्ज किया है कि को अधिनिर्णय का बचाव करने के लिए नियुक्ति के खिलाफ आपत्तियों को वापस ली जा रही है। हालाँकि, उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई गई यह स्थिति पूरी तरह से गलत है। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान एक पक्ष द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 12 (5) की प्रयोज्यता के लिए एक कथित छूट का रिकॉर्ड, छूट का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि धारा 12 (5) के प्रावधान के लिए अनिवार्य रूप से 'लिखित में एक स्पष्ट समझौते' की आवश्यकता होती है। इस न्यायालय के समक्ष ***स्कोर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम जी. आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 2021 एस. सी. सी.***

ऑनलाइन डेल 3547 और न्यायालय में मुद्दा उठा। खंड 12 (5) की प्रयोज्यता को माफ करने के लिए पक्षों के बीच एक लिखित समझौते के आभाव में छूट के तर्क को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि मध्यस्थ द्वारा केवल रिकॉर्डिंग को व्यक्त नहीं माना जा सकता है। दलील का समर्थन करने के लिए प्रोद्दाटुर केबल टीवी डिजी सर्विसेज बनाम सिटी केबल नेटवर्क लिमिटेड, 2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 350 में इस न्यायालय का निर्णय का सहारा लिया गया तथा न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नोटिस मिलने के तुरंत बाद ऐसी नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने ***लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम एच. एल. एल. लाइफकेयर लिमिटेड, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4465*** में न्यायालय के निर्णय पर, अन्य निर्णयों के साथ इस पर भी भरोसा जताया गया है।

18. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के वकील ने दृढ़ता से आग्रह किया कि याचिकाकर्ता के लिए यह याचिका दायर करना संभव नहीं है कि धारा 12 (5) की प्रयोज्यता में कोई छूट नहीं थी और/या नियुक्ति ***पर्किन्स (उपरोक्त)*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन था, जो कथित रूप से एक एकतरफा नियुक्ति थी। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति पर आपत्ति प्रारंभिक चरण में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई थी, लेकिन 09.11.2020 को सुनवाई के दौरान जानबूझकर वापस ले ली गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने विशेष रूप से कहा था कि आपत्ति को खारिज कर दिया जाए क्योंकि उस पर

दबाव नहीं डाला गया था। बयान को दिनांकित 09.11.2020 आदेश पत्र में विधिवत दर्ज किया गया था और आपत्ति को वापस ले लिया गया, यह मानकर खारिज कर दिया गया। यह इस रियायत के कारण है कि एकमात्र मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी को दावा विवरण और उसके बाद बचाव बयान दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले को आगे बढ़ाया। 09.11.2020 के बाद भी, याचिकाकर्ता ने कार्यवाही में भाग लिया, यद्यपि चुनिंदा रूप से, लेकिन उसके बाद नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और न ही शासनादेश को समाप्त करने के लिए कोई कानूनी सहारा लिया गया। एक सुविचारित मौका लेने के बाद, कार्यवाही के समापन और मध्यस्थ अधिनिर्णय में उनकी परिणति के बाद, याचिकाकर्ता का एकतरफा नियुक्ति की दलील उपलब्ध नहीं है।

19. यह भी तर्क दिया गया कि ***पर्किन्स (पूर्वोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, या एकतरफा नियुक्तियों पर अन्य निर्णयों से याचिकाकर्ता को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि दोनों पक्ष जानबूझकर और स्वेच्छा से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमत हुए थें और स्वयं ही इस क्षेत्राधिकार के लिए प्रस्तुत हुए। यदि इस स्तर पर इस याचिका द पर विचार किया जाता है, तो यह उन प्रत्यर्थियों के प्रति अन्याय होगा जो पूरी कार्यवाही से गुजर चुके हैं, साक्ष्यों के माध्यम से आगे बढे हैं और समय, शक्ति और धन खर्च किया है। यदि याचिकाकर्ता ने 09.11.2020 को अपनी आपत्ति वापस नहीं ली होती, तो प्रत्यर्थियों ने मध्यस्थ को बदलने पर विचार किया होगा, लेकिन इस अंतिम

चरण में कोई भी हस्तक्षेप मध्यस्थ के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करेगा। ***क्विप्पो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड बनाम जनार्दन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, (2020) 18 एस. सी. सी. 277*** में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रत्यर्थी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने में विफल रहा और उसने कोई आपत्ति नहीं जताई कि मध्यस्थ के पास इसका क्षेत्राधिकार नहीं था, प्रत्यर्थी को ऐसी आपत्ति का परित्याग कर देना चाहिए। परित्याग अपनी प्रकृति में सहमति है और यह दो पक्षों आवश्यकतानुसार विवेक संगतता पर निर्भर करता है। दो पक्षों की आवश्यकतानुसार विवेक संगतता का तात्पर्य है, एक के द्वारा परित्याग और दूसरे के द्वारा उस परित्याग से लाभ की प्राप्ति और इसमें दोनों की सहमति आवश्यक है।

20. मैं इस बात पर ध्यान दें सकता हूं कि पक्षों ने विवादित पुरस्कारों के तहत दावों के गुण-दोष पर तर्कों को संबोधित किया है और उस संदर्भ में निर्णयों का उल्लेख किया है। हालाँकि, चूंकि विद्वान मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में एक आपत्ति उठाई गई है, जो मामले की जड़ तक जाती है, मेरे विचार में, इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करना आवश्यक है।

21. इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मौलिक प्रश्न यह है कि क्या विवादित निर्णय इस आधार पर रद्द किए जाने योग्य हैं कि विद्वान मध्यस्थ प्रत्यर्थी द्वारा एकतरफा नियुक्त किया गया था और इस प्रकार वह 1996 के अधिनियम की धारा 12 के आधार पर अयोग्य था। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा मध्यस्थ कार्यवाही संचालित करने और विवादित अधिनिर्णय के लिए कानून निर्धारित किया गया है।

22. मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जिसे मध्यस्थता समझौते को शामिल करने वाले अनुबंध के लिए पक्षों द्वारा चुना जाता है, जिसमें विवादों को हल करने के लिए एक तीसरे पक्ष को चुना और नियुक्त किया जाता है और मध्यस्थों को आम तौर पर अनुबंध निर्माता के रूप में संदर्भित किया जाता है। वह लोकाचार और पहला सिद्धांत जिस पर मध्यस्थता तंत्र कार्य करता है, वह है पक्ष की स्वायत्तता अर्थात समझौते के दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य मध्यस्थ चुनने की स्वतंत्रता, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा संचालित है कि 'कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है' अर्थात *'नेमो जूडेक्स इन कौसा सुआ'*।

23. ***पर्किन्स (उपरोक्त)*** में अपने ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कानून में इस स्थिति को स्पष्ट किया कि 1996 के अधिनियम की धारा 12 (5) के तहत मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि यह स्वायत्तता के सिद्धांत को प्रभावित करता है। प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार है:-

> *"20. इस प्रकार हमारे पास मामलों की दो श्रेणियाँ हैं। पहला, टी. आर. एफ. लिमिटेड के समान है। [टी. आर. एफ. लिमिटेड बनाम एनर्गो इंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2017) 8 एस. सी. सी. 377:(2017) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 72] जहाँ प्रबंध निदेशक को स्वयं एक मध्यस्थ के रूप में नामित*

किया गया है, जिसके पास किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की अतिरिक्त शक्ति रहती है। दूसरी श्रेणी में, प्रबंध निदेशक को स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना है, बल्कि वह अपनी पसंद या विवेक के किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की शक्ति है या वह अधिकृत है। यदि, मामलों की पहली श्रेणी में, प्रबंध निदेशक अक्षम है, तो यह कहा जाता है कि वह विवाद के परिणाम या परिणाम में रुचि रखता है। इस प्रकार अमान्यता का तत्व सीधे तौर पर संबंधित होगा और ऐसे परिणाम या निर्णय उसकी रुचि से उत्पन्न होगा। यदि यह परीक्षण है, तो इसी तरह की अयोग्यता हमेशा उत्पन्न होगी और दूसरी श्रेणी के मामलों में भी ऐसा ही होगा। यदि विवाद के परिणाम में उसके हित को पक्षपात की संभावना का आधार माना जाता है, तो यह हमेशा मौजूद रहेगा, भले ही मामला पहली या दूसरी श्रेणी के मामलों का हो। हम इस बात से अवगत हैं कि यदि इस तरह की कटौती इस न्यायालय के निर्णय से ली जाती है, तो टीआरएफ लिमिटेड [टीआरएफ लिमिटेड बनाम एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2017) 8 एससीसी 377 :(2017) 4 एससीसी सिवी.) 72], सभी मामलों में वही सभी समान खंड हैं जो वर्तमान में विचारणीय हैं, समझौते का एक पक्ष स्वत: ही मध्यस्थ नियुक्ति का हकदार नहीं होगा और यह हमेशा बहस के लिए उपलब्ध होगा कि विवाद में रुचि रखने वाला एक पक्ष या एक अधिकारी या प्राधिकरण मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए अयोग्य होगा।"

24. इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने **टीआरएफ लिमिटेड बनाम एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2017) 8 एससीसी 377 में**, के ममाले में इससे भी पहले के मामले के निर्णय का उल्लेख किया है जहाँ प्रबंधन निदेशक स्वयं ही नामित मध्यस्थ था और सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अयोग्य/अमान्य इस आधार पर घोषित किया कि विवाद के परिणाम में उसके स्व हित शामिल होने के कारण मध्यस्थ के पक्ष में जा सकता है, अत: वह इस कार्य के लिए

योग्य पात्र नही है। इस सिद्धांत की पुष्टि ***भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड, (2019) 5 एस. सी. सी. 755*** में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई थी, बाद में इस न्यायालय के कई निर्णयों में इसका पालन किया गया। शब्दाडम्बर से बचते हुए, मैं कुछ आदेशों का उल्लेख कर रहा हूँ जिनमें न्यायालयों ने कहा है कि मध्यस्थों की एकतरफा नियुक्तियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा ऐसा करना विधि मान्य नही होगा अर्थात ***प्रोद्दातुर केबल टीवी डिजी सेवाएं (पूर्वोक्त); ए.के. बिल्डर्स बनाम दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 627; ओशो जीएस एंड कंपनी बनाम वैपकोस लिमिटेड, 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 459; एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल) बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), 2021 एससीसी ऑनलाइन डेल 3505*** और खंड पीठ के द्वारा दी गई दो हाल के निर्णय ***गोविंद सिंघव सत्य ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन डेल 37*** तथा ***कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम नरेंद्र कुमार प्रजापत, 2023 एससीसीओऑनलाइन डेल 3148*** में भी पाया गया ।

25. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, सबसे पहले पक्षों के बीच निष्पादित पट्टा विलेखों में शामिल मध्यस्थता खंड पर बारीकी से नज़र डालना आवश्यक है। तैयार संदर्भ के लिए खंड 25 यहाँ नीचे निकाला गया है:-

"खंड 25 -

25.1. पक्षकार इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों और मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने और/या हल करने के लिए सहमत हुए हैं अन्यथा अपने बीच स्थान के पट्टे/व्यवसाय/उपयोग के संबंध में; लेकिन यदि किसी भी प्रकृति का कोई विवाद पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में असमर्थ है , यदि पक्षकार यहां निहित किसी भी नियम और शर्तों के निर्माण दायरे या प्रभाव सहित विवादों और मतभेदों को संदर्भित करने के लिए सहमत हो गए हैं या अन्यथा स्थान के पट्टे/व्यवसाय/उपयोग और/या किसी भी अधिकार और/या दायित्व के निर्धारण और/या किसी भी तरह से इन उपहारों को छूने या संबंधित या अन्यथा के एकमात्र मध्यस्थता के लिए स्थान के पट्टे/व्यवसाय/उपयोग से संबंधित हैं। एल. ई. एस. एस. ओ. आर. द्वारा नियुक्त स्वतंत्र मध्यस्थ। मध्यस्थ सेवानिवृत्त के स्तर से कम नहीं होगा।उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।पट्टेदार मध्यस्थ की नियुक्ति से पहले पट्टेदार को तीन नाम प्रस्तावित करेगा और पट्टेदार प्रस्तावित तीन नामों में से एकमात्र मध्यस्थ का चयन करेगा।"

26. केवल खंड 25 के पठन से पता चलता है कि इसमें पट्टेदार यानी उत्तरदाताओं को वर्तमान पट्टा समझौतों से उत्पन्न विवादों और मतभेदों के निर्णय के लिए एक स्वतंत्र एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। खंड में प्रावधान है कि प्रस्तावित मध्यस्थ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के स्तर से कम नहीं होगा और पट्टेदार मध्यस्थ की नियुक्ति से पहले पट्टेदार को तीन नाम प्रस्तावित करेगा, जो प्रस्तावित तीन नामों में से चुनेगा। उच्चतम न्यायालय के फैसलों के आलोक में ***पर्किन्स (पूर्वोक्त), टी. आर. एफ. लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** और ***भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क सीमित (पूर्वोक्त)***, पहला प्रश्न जिस उत्तर मांग करता है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थियों

द्वारा तैयार किया गया तीन प्रस्तावित मध्यस्थों का पैनल, जिसमें से याचिकाकर्ता को एक नाम चुनना था, 'व्यापक आधार' पर था और ***वोएस्टाल्पाइन शियनन जीएमबीएच बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2017) 4 एससीसी 665*** में सिद्धांत निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थियों द्वारा एकतरफा नियुक्ति को कानून में बनाए रखा जा सकता है, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता ने 3 प्रस्तावित नामों में से चुनने के लिए संचार करते ही अपनी अस्वीकृति व्यक्त कर दी थी।

27. पहले प्रश्न पर आते हुए, ***वोएस्टाल्पाइन शियेन जी. एम. बी. एच. (पूर्वोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर ध्यान देते हैं, तो इस प्रश्न एक स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो जाता है जो इस प्रकार हैं:-

> *"29. जी. सी. सी./एस. सी. सी. के खंड 9.2 (ए) पर भी कुछ अवलोकन की आवश्यकता है, जिसके अनुसार डी. एम. आर. सी. "सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवारत या सेवानिवृत्त इंजीनियरों" का पैनल तैयार करता है। यह समझ में नहीं आता है कि पैनल को उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों तक ही क्यों सीमित रखना है। संशोधित प्रावधान की के मूल तत्व को ध्यान में रखते हुए और दूसरे पक्षकार के भी भरोसे को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य है कि पैनल का निर्माण व्यापक स्तर पर किया जाए। इसमें सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवारत या सेवानिवृत्त इंजीनियरों के अलावा, निजी क्षेत्र के प्रमुख और उच्च प्रतिष्ठा वाले इंजीनियरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह पैनल में न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित वकीलों जैसे कानूनी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति शामिल होने चाहिए क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि उत्पन्न होने वाले सभी विवाद तकनीकी प्रकृति के हों। विशुद्ध रूप से या काफी हद तक कानूनी मुद्दों से जुड़े विवाद और वह भी जटील प्रकृति के हो सकते हैं। इसी*

तरह, कुछ विवादों में लेखांकन आदि के आयाम भी हो सकते हैं । इसलिए इस क्षेत्र के व्यक्तियों को भी शामिल करना उचित होगा।

30. इस देश में स्वस्थ और अनुकूल मध्यस्थता की संस्कृति के विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सकारात्मक संकेत देने का समय आ गया है। जैसा कि विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी रेखांकित किया है, सरकारी अनुबंधों में कर्तव्य अधिक कठिन हो जाता है, जहां विवाद का एक पक्ष सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो तथा मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार उसके पास हो। तत्काल मामले में भी, हालांकि विकल्प डी. एम. आर. सी. द्वारा विरोधी पक्ष को दिया जाता है, लेकिन यह डी. एम. आर. सी. द्वारा तैयार किए गए पैनल में से एक मध्यस्थ का चयन करने तक सीमित है। इसलिए, एक बहुत व्यापक पैनल का होना अनिवार्य हो जाता है, ताकि इस बात की कोई गलतफहमी न रहे कि कार्यवाही के किसी भी चरण में, विशेष रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के चरण में, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांत को खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि डी. एम. आर. सी. आज से दो महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त लाइनों पर एक व्यापक आधारित पैनल तैयार करेगा।"

28. सर्वोच्च न्यायालय ने पक्षों में विश्वास पैदा करने हेतु एक व्यापक-आधारित पैनल की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस संदर्भ में मैं इनमें से एक का उल्लेख कर रहा हूं ***एल एंड टी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 3587*** में इस न्यायालय का हालिया निर्णय, जिसमें दिए गये तथ्य इसके बहुत करीब है, जहां मध्यस्थता समझौते के लिए याचिकाकर्ताओं को तीन नाम आगे करने की आवश्यकता होती है, ताकि वह एक व्यक्ति का चयन कर सके, जिसे तब एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। न्यायालय ने घोषणा किया कि नियुक्ति की प्रक्रिया टिप्पणियों के अनुरूप नहीं थी, सर्वोच्च न्यायालय ने

वोएस्टाल्पाइन शियेनन जीएमबीएच (पूर्वोक्त) में जो अवलोकन किया वह प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैः-

> *"96. वर्तमान मामले में, इस शर्त के तहत याचिकाकर्ताओं को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए उनमें से एक नाम चुनने के लिए तीन नाम (भले ही वे अन्य संगठनों के सेवानिवृत्त कर्मचारी हों और आईओसीएल के नहीं) भेजने की आवश्यकता है। यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि की सूची के तीन नाम याचिकाकर्ता के तीन वैकल्पिक पसंद तक सीमित है। मैंने यह नोट किया कि वे तिन व्यक्तियों जिनके नाम पैनल में शामिल है तथा जो याचिकाकर्ता को भेजे गये हैं, वे सभी भिन्न-भिन्न संस्थाओं जैसे ओ एन जी सी, सेल और गेल के सेवानिवृत अधिकारी हैं। इन अधिकारियों की ईमानदारी और निष्पक्षता पर आम तौर पर संदेह नहीं किया जा सकता। हालांकि, याचिकाकर्ता को एक व्यापक और विविध पैनल से मध्यस्थ का चयन करने के लिए स्वतंत्र विकल्प दिए जाने और प्रत्यर्थीको अपने विवेकानुसार पैनल के रूप में किसी भी तीन नामों को आगे बढ़ाने की शक्ति की अनुपस्थिति में, याचिकाकर्ता की ओर से पैनल में व्यक्तियों की निष्पक्षता के बारे में आशंका उत्पन्न होने की संभावना है। इस तरह की आशंका उचित है या नहीं, यह निर्णय इस न्यायालय को नहीं करना है और न ही किसी भी मामले में यह मायने रखता है। यह तय कानून है कि पक्षकारों के मन में मध्यस्थ के पक्षपात की आशंका भी मध्यस्थता के उद्देश्य को विफल कर देगी और ऐसी स्थिति से बचा जाना चाहिए।*
>
> *97. इसलिए, मैं घोषणा करता हूं कि मध्यस्थ (यदि कोई हो) की नियुक्ति की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय* ***वोएस्टाल्पाइन शियेनन जीएमबीएच (पूर्वोक्त)*** *के टिप्पणियों के संदर्भ में होगी।"*

29. उपरोक्त के मद्देनजर, इस बात पर कोई बहस नहीं हो सकती है कि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पट्टा विलेखों के खंड 25 में निर्धारित

प्रक्रिया, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थियों द्वारा तैयार किए गए 3 नामों के प्रतिबंधित पैनल में से चुनने के लिए कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं है। इसलिए, पहले प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ता के पक्ष में और उत्तरदाताओं के खिलाफ दिया जाता है।

30. दूसरे प्रश्न पर आते हुए, यह उल्लेख करना उचित है कि उत्तरदाताओं ने खंड 25 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 25.09.2020 के मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और तीन पूर्व न्यायाधीशों के नाम प्रस्तावित किए। याचिकाकर्ता को यह न्यायालय, दिनांकित 25.09.2020 पत्र के माध्यम से। याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव को प्रतिग्रहण करना नहीं किया और दिनांक 06.10.2020 को एक संचार द्वारा स्पष्ट रूप से प्रस्तावित तीन नामों की अपनी अस्वीकृति से अवगत कराया। कानून के बारे में जागरूक होने या कम से कम इस बात से अवगत होने के बाद कि प्रत्यर्थियों को एक प्रतिबंधित पैनल से एकतरफा नियुक्ति करने से रोका गया था और वह भी याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति के आलोक में, प्रत्यर्थियों ने कानूनी स्थिति का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए, एकमात्र मध्यस्थ को नामित करने के लिए आगे बढ़े। याचिकाकर्ता ने तुरंत भेजा 08.10.2020 पर मध्यस्थ को संचार, प्रस्तावित नामों को अपनी अस्वीकृति को स्पष्ट रूप से सूचित करते हुए और यह भी सूचित करते हुए कि याचिकाकर्ता एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 1996 अधिनियम की धारा 11 (5) का सहारा लेगा। विशेष रूप से, प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई

गई आपत्तियों के अपने जवाब में दिया कि याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित नामों को लेने करने से इनकार कर दिया था। एक बार जब याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित तीन नामों पर आपत्ति जताई और तीनों में से किसी एक को नामित करने के विकल्प का उपयोग करने से इनकार कर दिया, तो प्रत्यर्थियों के लिए उपलब्ध उपाय 1996 के अधिनियम की धारा 11 (5) और (6) के प्रावधानों को लागू करके एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अदालत से संपर्क करना था। इस प्रक्रिया का स्वीकार्य रूप से पालन नहीं किया गया था और इसके बजाय प्रत्यर्थियों ने गलत रास्ते पर कदम रखा और 1996 के अधिनियम की धारा 12 (5) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक तरफा मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े।

31. प्रत्यर्थियों की ओर से प्राथमिक तर्क यह है कि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति को एकतरफा नियुक्ति नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह आपसी सहमति से हुई थी। इस बात को ठीक आदेश के लिए, यह आग्रह किया गया कि 09.11.2020 पर, याचिकाकर्ता के वकील ने स्पष्ट रूप से कहा था कि याचिकाकर्ता एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति पर अपनी आपत्ति वापस ले रहा था और चुनिंदा रूप से कार्यवाही में भाग लिया। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह 1996 के अधिनियम की धारा 12 (5) के प्रावधान के तहत छूट के बराबर है।

32. प्रत्यर्थियों के इस तर्क पर आते हुए कि मध्यस्थता कार्यवाही में याचिकाकर्ता की भागीदारी आचरण द्वारा छूट का गठन करती है, क्या यह कहना पर्याप्त होगा कि यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है। द. ***भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय***, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 1996 के अधिनियम की धारा 12 (5) के तहत छूट केवल तभी मान्य होगी जब यह 'अनुबंधन लिखित अभिव्यक्ति ' द्वारा हो। निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:-

> *"15. दूसरी ओर, धारा 12 (5) एक नया प्रावधान है जो मध्यस्थ कानून की क्षमताहीनता से संबधित है। इस प्रावधान के तहत, इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते को धारा 12 (5) में अबाधित खंड द्वारा उस समय समाप्त कर दिया जाता है जब कोई भी व्यक्ति जिसका पक्षकारों या वकील या विवाद के विषय के साथ संबंध सातवीं अनुसूची के तहत आता है। उप-धारा तब घोषणा करती है कि ऐसा व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए "अयोग्य" होगा। इस अयोग्यता को हटाने का एकमात्र तरीका परंतुक है, जो फिर से एक विशेष प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि पक्षकार, उनके बीच उत्पन्न हुए विवादों के बाद, अनुबंध की लिखित अभिव्यक्ति द्वारा हो तो धारा 12 (5) की प्रयोज्यता का परित्याग किया जा सकता है। अतः स्पष्ट बात यह है कि जहां पक्षकारों के बीच किसी समझौते के तहत कोई व्यक्ति सातवीं अनुसूची में निर्धारित किसी भी श्रेणी में आता है, तो वह कानून के मामले में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है। इस अयोग्यता को हटाने का एकमात्र तरीका, फिर से, कानूनी रूप से, यह है कि पक्षकार अपने बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद, "अनुबंध की लिखित अभिव्यक्ति" द्वारा इस उप-धारा की प्रयोज्यताका परित्याग कर सकते हैं। जाहिर है, "अनुबंध की लिखित अभिव्यक्ति" में एक ऐसे व्यक्ति का संदर्भ है जिसे सातवीं अनुसूची द्वारा बाधित किया गया है, लेकिन जिसे पक्षों द्वारा (उनके बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद) एक ऐसा*

व्यक्ति कहा गया है जिसमें उन्हें विश्वास है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा व्यक्ति सातवीं अनुसूची द्वारा बाधित है।

XXX XXX XXX

17. इसलिए, धारा 12,13 और 14 की योजना यह है कि जहां कोई मध्यस्थ लिखित रूप में एक प्रकटीकरण करता है जिससे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह होने की संभावना है, ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति को धारा 13 के साथ पठित धारा 12 (1) से 12 (4) के तहत चुनौती दी जा सकती है। हालांकि, जहां ऐसा व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए "अयोग्य" हो जाता है, ऐसे मध्यस्थ को ऐसे मध्यस्थ के समक्ष चुनौती देने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे मामले में, यानी अधिनियम की धारा 12 (5), धारा 14 (1) (क) के तहत आने वाला मामला इस हद तक लागू हो जाता है कि मध्यस्थ धारा 12(5) के तहत अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है। ऐसा होने पर, उसका अधिदेश स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है, और फिर उसे धारा 14 (1) के तहत ही किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह केवल तभी होता है जब इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या वह अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया है, कि किसी पक्ष को जनादेश की समाप्ति पर निर्णय लेने के कानून में आवेदन करना पड़ता है, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो। इस प्रकार, धारा 12(5) के सभी मामलों में, कोई चुनौती प्रक्रिया का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। यदि कोई मध्यस्थ अपने कार्यों को करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि वह सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12(5) में उल्लेखित किसी भी श्रेणी में आता है, तो एक पक्ष न्यायालय में आवेदन कर सकता है, जो तब यह कानूनन करेगा कि उसका अधिदेश समाप्त हो गया है या नहीं। खंड 14 के तहत आमतौर पर जो प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, वे इस बारे में हो सकते हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति सातवीं अनुसूची में उल्लेखित किसी भी श्रेणी में आता है, या क्या अधिनियम की धारा 12(5) के परंतुक में दी गई छूट है। कानून के मामले में, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि धारा 12(5) के परंतुक को अधिनियम

की धारा 4 के विपरीत होना चाहिए। धारा 4 आचरण द्वारा मानित छूट के मामलों से संबंधित है; जबकि धारा 12(5) का परंतुक पक्षकारों के बीच अनुबंध की लिखित अभिव्यक्ति द्वारा छूट से केवल तभी संबंधित है जब उनके बीच उत्पन्न हुए विवादों के बाद किया जाता है।

XXX XXX XXX

20. यह तब हमें इस मामले के तथ्यों पर धारा 12 (5) के परंतुक की प्रयोज्यता पर लाता है। अधिनियम की धारा 4 के विपरीत, जो आचरण द्वारा आपत्ति करने के अधिकार की मानित छूट से संबंधित है, धारा 12 (5) का परंतुक केवल तभी लागू होगा जब पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के बाद, पक्षकार लिखित रूप में एक स्पष्ट समझौते द्वारा धारा 12 की उप-धारा (5) की प्रयोज्यता को माफ कर देंगे। इस कारण से, अधिनियम की धारा 7 के सादृश्य पर आधारित तर्क को भी खारिज किया जाना चाहिए। धारा 7 मध्यस्थता समझौतों से संबंधित है जो लिखित रूप में होने चाहिए, और फिर बताती है कि ऐसे समझौते दस्तावेजों में निहित हो सकते हैं जो ऐसे समझौतों का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, धारा 12(5) "अनुबंध की लिखित अभिव्यक्ति को संदर्भित करती है। अभिव्यक्ति "अनुबंध की लिखित अभिव्यक्ति" एक समझौते के विपरीत शब्दों में किए गए समझौते को संदर्भित करता है जिसका अनुमान आचरण द्वारा लगाया जाना है। यहाँ अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 9 महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें कहा गया है:

> *"**9. वादे, अभिव्यक्ति और निहितार्थ** – जहाँ तक प्रस्ताव या किसी वादे की स्वीकृति शब्दों में की जाती है, उस वादे को अभिव्यक्ति कहा जाता है। जहाँ तक इस तरह के प्रस्ताव या स्वीकृति को शब्दों के अलावा अन्य रूपों में भी किया जाता है, तब वादा निहितार्थ बन जाता है।"*

इस प्रकार यह आवश्यक है कि अनुबंधन की अभिव्यक्ति लिखित होनी चाहिए जिसके द्वारा दोनों पक्ष, इस तथ्य की पूरी जानकारी के साथ कि श्री खान मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य हैं, फिर आगे

कहते हैं कि उन्हें उस पर पूरा विश्वास और विश्वास है। वर्तमान मामले के तथ्य इस तरह के किसी अभिव्यक्त अनुबंध का खुलासा नहीं करते हैं। नियुक्ति पत्र जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों पर एक स्पष्ट समझौते का संकेत देने के रूप में भरोसा किया जाता है, 17-1-2017 को दिनांकित है। इस तिथि पर, अपीलकर्ता के प्रबंध निदेशक को निश्चित रूप से इस बात की जानकारी नहीं थी कि श्री खान को उनके द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 (5) केवल एक मध्यस्थ के रूप में स्वयं को प्रबंध निदेशक नियुक्त के लिए अयोग्यत हैं। श्री खान की अवैध नियुक्ति टी. आर. एफ. लिमिटेड में उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा के बाद ही स्पष्ट हुई। एनर्गो इंग।प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2017) 8 एस. सी. सी. 377 : (2017) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 72] जो, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, केवल 3-7-2017 पर था। इस तारीख के बाद, श्री खान की नियुक्ति की वैधता के बारे में पक्षों के बीच एक स्पष्ट अनुबंध होने के बावजूद, अपीलकर्ता ने एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष 7-10-2017 पर एक आवेदन दायर किया, जिससे मध्यस्थ का ध्यान टी. आर. एफ. लिमिटेड में निर्णय की ओर लाया गया। एनर्गो इंग।प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2017) 8 एससीसी 377:(2017) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 72] और उसे यह घोषित करने के लिए कहना कि वह एक मध्यस्थ कानून में कार्य करने में असमर्थ हो गया है। समान रूप से, यह तथ्य कि मध्यस्थ के समक्ष दावे का बयान दायर किया गया हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि शब्दों में एक स्पष्ट अनुबंध है जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि श्री खान इस तरह से कार्य करने के लिए अयोग्य होने के बावजूद मध्यस्थ के रूप में बने रहें। यह मामला होने के कारण, विवादित निर्णय सही नहीं है जब यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर अधिनियम की धारा 4, धारा 7, धारा 12 (4), धारा 13 (2) और धारा 16 (2) को लागू करता है, और यह कहता है कि अपीलकर्ता को मध्यस्थ की पात्रता का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह स्वयं मध्यस्थ नियुक्त करता है। अपील के तहत निर्णय यह कहने में भी गलत है कि इस तथ्य से लिखित रूप में एक स्पष्ट छूट है कि अपीलकर्ता द्वारा एक

नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, और प्रत्यर्थी द्वारा मध्यस्थ के समक्ष दावे का बयान दायर किया गया है। जिस क्षण अपीलकर्ता को पता चला कि श्री खान की नियुक्ति अमान्य होगी, उसने अपने आदेश को समाप्त करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष एक आवेदन दायर किया।"

33. उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद, समन्वय पीठ ***जे. एम. सी. प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम इंड्योर प्राइवेट लिमिटेड, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 1950***, निम्नानुसार आयोजित किया गयाः-

"28. इन निर्णयों का महत्व उतना ही स्पष्ट है जितना कि यह अपरिहार्य है। एक "अनुबंध की लिखित अभिव्यक्ति ", धारा 12 (5) की प्रयोज्यता को माफ करना, एक ऐसे व्यक्ति के लिए वैधानिक अनिवार्यता है, जो अन्यथा धारा 12 (5) की कठोरता के अधीन है, जिससे अप्रभावित रहना है। इससे कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा; कोई भी आचरण, चाहे वह कितना भी व्यापक या सूचक हो, "लिखित रूप में स्पष्ट समझौते" का स्थान नहीं ले सकता है।इस तरह के "लिखित में स्पष्ट समझौते" के बिना, धारा 12 (5), कानून के संचालन द्वारा, किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति को अमान्य करती है, जिसका संबंध, विवादों के पक्षों के साथ, 1996 के अधिनियम की सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के तहत आता है। अयोग्यता, जो ऐसे व्यक्ति से जुड़ी होती है, वास्तव में, उससे या उसके नामित व्यक्ति से भी जुड़ी होगी।

29. श्री एन.पी. गुप्ता, जिन्हें वर्तमान मामले में मध्यस्थता धारा द्वारा प्रत्यर्थी के अध्यक्ष के रूप में मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था, इसलिए, या तो मध्यस्थ के रूप में कार्य करने या किसी मध्यस्थ को नामित करने या नियुक्त करने से अमान्य कर दिया गया था।

30. वैधानिक निर्णय के प्रति सचेत, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री प्रशांत मेहता ने 1996 के अधिनियम की धारा 12 (5) के परंतुक पर अपना मामला रखने की मांग की, जो उन मामलों में उक्त उप-

धारा की प्रयोज्यता को छोड़कर है, जिनमें विवाद उत्पन्न होने के बाद, पक्षों ने लिखित रूप में एक स्पष्ट समझौते द्वारा उप-धारा की प्रयोज्यता को माफ कर दिया गया ।

31. हालाँकि, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड से पूर्व में निकाले गए अंशों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि, धारा 4 के विपरीत 1996 के अधिनियम के लिखित समझौते, जो उप-धारा 12(5) का परंतुक संदर्भित करता है; को व्यक्त करना होगा। आचरण द्वारा समझौते को, वास्तव में, उक्त परंतुक की प्रयोज्यता से बाहर रखा गया है।

32. श्री प्रशांत मेहता ने इस तथ्य की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है कि, मौजूदा विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थ कार्यवाही को पूरा करने के लिए दो बार विस्तार की मांग करके, साथ ही साथ ईमेल के माध्यम से, 6 जनवरी, 2020 और 20 जनवरी, 2020 को एकमात्र विद्वान मध्यस्थ को सूचित करके, अन्य बातों के साथ, अपने गवाहों के साक्ष्य के माध्यम से हलफनामा दायर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए, याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवादों का फैसला करने के लिए मध्यस्थ के रूप में विद्वान एकमात्र मध्यस्थ के कामकाज के लिए लिखित रूप में स्पष्ट सहमति दी है।

XXX XXX XXX

34. "अधिकारों के परित्याग की अभिव्यक्ति", एक न्यायिक अवधारणा के रूप में, एक से अधिक अवसरों पर न्यायिक संकल्पना को लागू किया है। इंद्रप्रीत सिंह कहलों बनाम पंजाब राज्य के मामले में, यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

> *"छूट एक अधिकार का परित्याग है, और इस प्रकार बाद के प्रवर्तन के खिलाफ एक बचाव है। छूट व्यक्त की जा सकती है या, जहां अधिकार का ज्ञान है, आचरण से निहित हो सकता है जो अधिकार की निरंतरता के साथ असंगत है। किसी अधिकार पर जोर न देने के इरादे का एक मात्र बयान विचार के अभाव में पर्याप्त नहीं है; लेकिन पूर्ण अधिकारों पर जोर न देने के लिए एक जानबूझकर चुनाव,*

हालांकि पहले भौतिक तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण प्राप्त किए बिना किया जाता है, और उस आधार पर एक समझौते पर आने के लिए, बाध्यकारी होगा। "छूट एक अधिकार का परित्याग है, और इस प्रकार इसके बाद के प्रवर्तन के खिलाफ एक बचाव है। छूट व्यक्त की जा सकती है या, जहां अधिकार का ज्ञान है, उस आचरण से निहित हो सकती है जो अधिकार की निरंतरता के साथ असंगत है।विचार की अनुपस्थिति में में किसी अधिकार पर जोर न देने के इरादे का केवल एक बयान पर्याप्त नहीं है; लेकिन पूर्ण अधिकारों पर जोर न देने के लिए एक जानबूझकर चुनाव, हालांकि पहले भौतिक तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण प्राप्त किए बिना किया गया है, और उस आधार पर एक समझौते पर आना बाध्यकारी होगा।"

XXX XXX XXX

36. उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून के बावजूद, मुख्य रूप से भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड में, श्री मेहता की दलीलों मान लेना संभव नहीं है।

37. उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट और स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि "लिखित में स्पष्ट समझौता", जिसके लिए धारा 12 (5) का परंतुक इंगित करता है, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, और उससे कम नहीं; दूसरे शब्दों में, पक्षों को 1996 के अधिनियम की खंड 12 (5) की छूट के लिए लिखित रूप में स्पष्ट सहमति होनी चाहिए।

38. लिखित रूप में उक्त समझौते में पक्षकारों पर, उनके बीच के विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए उक्त प्रावधान की प्रयोज्यता के साथ-साथ विद्वान मध्यस्थ की परिणामी अमान्यता के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, साथ ही उनके बीच के विवादों के मामले में उक्त प्रावधान की प्रयोज्यता को माफ करने का एक सचेत इरादा होना चाहिए।

39. यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता कार्यवाही को जारी रखने और पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन दायर करना, या साक्ष्य का शपथ पत्र दायर करने के लिए समय बढ़ाने के लिए मध्यस्थ को आवेदन करना,

1996 के अधिनियम की धारा 12 (5) के परंतुक के अर्थ के भीतर एक "लिखित अनुबंध " का गठन नहीं कर सकता है।

40. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि 1996 के कानून की धारा 12 (5) के संचालन से, टी. आर. एफ. लिमिटेड, पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के आलोक में, श्री एन. पी. गुप्ता द्वारा नियुक्त एकमात्र विद्वान मध्यस्थ, जिनके समक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही अब तक जारी है, को 1996 के कानून की धारा 14 (1) (ए) के अर्थ के भीतर, मध्यस्थ के रूप में कार्य करना जारी रखने में असमर्थ बना दिया गया है।

XXX XXX XXX

42. एकमात्र विद्वान मध्यस्थ को कानूनन रूप से इस रूप में कार्य करना जारी रखने में असमर्थ कर दिया गया है, न कि एकमात्र विद्वान मध्यस्थ की ओर से किसी भी विफलता के कारण, बल्कि इस मुद्दे पर कानूनन पूर्व निर्णय द्वारा लागू वैधानिक मजबूरी के कारण भी ऐसा किया गया है ।"

34. उपरोक्त दृष्टिकोण को इस न्यायालय ने ***स्कोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्वोक्त), लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (पूर्वोक्त), ए. के. बिल्डर्स (पूर्वोक्त) और सरोज पांडे बनाम आर्यव्रत प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6629*** मामले में दोहराया गया था। हाल ही में, एक खण्ड पीठ ने ***गोविंद सिंह (पूर्वोक्त)*** मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार जब मध्यस्थ 1996 के अधिनियम की धारा 12(5) के तहत कार्य करने के लिए अक्षम और अयोग्य हो जाता है, तो इस प्रश्न की जांच करना भी आवश्यक नहीं है कि क्या नियुक्ति से असहमति में पक्ष ने नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी और भले ही यह माना जाता है कि उक्त पक्ष ने मध्यस्थता

की कार्यवाही में भाग लिया था, नियुक्ति पर कोई आपत्ति उठाए बिना, यह अभिनिर्धारित करने के लिए खुला नहीं है कि उसने धारा (5) के तहत अपने अधिकारका परित्याग कर दिया था। प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैं:-

> *"17. पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. बनाम एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के बाद, प्रोद्दातुर केबल टीवी डिजी सर्विसेज बनाम सिटी केबल नेटवर्क लिमिटेड मामले में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा: (2020) 267 डी. एल. टी. 51 ने अभिनिर्धारित किया कि किसी पक्ष के लिए एकतरफा रूप से मध्यस्थ नियुक्त करना अनुज्ञेय नहीं होगा।ए एंड सी अधिनियम की सातवीं अनुसूची के साथ पठित ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 (5) के संदर्भ में, एक कर्मचारी कानून के आधार पर मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य होगा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने टी. आर. एफ. लिमिटेड बनाम.एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) और पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. बनाम एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड (पूर्वोक्त)। इस तरह की अयोग्यता ऐसे अधिकारियों द्वारा नियुक्त व्यक्ति तक भी विस्तारित होगी जो अन्यथा मध्यस्थों के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हैं।*
>
> *18. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा एकतरफा नियुक्त विद्वान मध्यस्थ धारा 12(5) क एवं ग अधिनियम के तहत मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य था।*
>
> *19. यह तर्क कि अपीलकर्ता ने अपने आचरण से विद्वान मध्यस्थ की नियुक्ति पर आपत्ति करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया है, वह भी योग्यता के बिना है। यह सवाल कि क्या कोई पक्ष, अपने आचरण से, ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 (5) के तहत अपने अधिकार को माफ कर सकता है, अब एकीकृत नहीं है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड: (2019) 5 एससीसी 755 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया था कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 (5) के तहत*

कोई भी छूट केवल तभी मान्य होगी जब यह लिखित अनुबंध की अभिव्यक्ति द्वारा हो। क एवं ग अधिनियम की धारा 12 (5) के तहत अधिकारों की किसी भी निहित छूट को आरोपित करने की कोई गुंजाइश नहीं है । उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है-

> *"20. यह तब हमें इस मामले के तथ्यों पर धारा 12 (5) के परंतुक की प्रयोज्यता पर लाता है। अधिनियम की धारा 4 के विपरीत, जो आचरण द्वारा आपत्ति करने के अधिकार की छूट से संबंधित है, धारा 12(5) का प्रावधान केवल तभी लागू होगा जब पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के बाद, पार्टियां लिखित रूप में एक अनुबंध के अभिव्यक्ति द्वारा धारा 12 की उप-धारा (5) की प्रयोज्यता को माफ कर देती हैं। इस कारण से, अधिनियम की धारा 7 की समानता पर आधारित तर्क को भी खारिज कर दिया जाना चाहिए। अनुभाग 7 मध्यस्थता समझौतों से संबंधित है जो लिखित रूप में होना चाहिए, और फिर बताते हैं कि ऐसे समझौतों को दस्तावेजों में शामिल किया जा सकता है जो ऐसे समझौतों का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं. दूसरी ओर, धारा 12 (5) "लिखित में एक्सप्रेस समझौते" को संदर्भित करता है। अभिव्यक्ति "लिखित रूप में व्यक्त समझौता" एक समझौते के विपरीत शब्दों में की गई सहमति को संदर्भित करता है जिसे आचरण द्वारा अनुमानित किया जाना है। यहां, अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 9 महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें कहा गया है:*
>
> > *"9. वादे, अभिव्यक्ति और निहितार्थ-जहाँ तक किसी वादे का प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों में व्यक्त की जाती है, वचन कहा जाता है। जहाँ तक इस तरह के प्रस्ताव या स्वीकृति को शब्दों के अलावा अन्य रूप में किया जाता है, निहितार्थ कहा जाता है।"*

इसलिए यह आवश्यक है कि लिखित रूप में एक "स्पष्ट" अनुबंध हो। यह अनुबंध एक ऐसा अनुबंध होना चाहिए जिसके द्वारा दोनों पक्ष, इस तथ्य की पूरी जानकारी के साथ कि श्री खान मध्यस्थ के रूप में

नियुक्त होने के लिए अयोग्य हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर पूरा विश्वास और विश्वास है।..."

20. इस प्रकार, इस प्रश्न की जांच करना आवश्यक नहीं है कि क्या अपीलकर्ता ने विद्वान मध्यस्थ की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। भले ही यह माना जाता है कि अपीलकर्ता ने विद्वान मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई आपत्ति उठाए बिना मध्यस्थता कार्यवाही में भाग दिया था, यह मानने वाली बात नहीं है कि उसने अपना अधिकार का परित्याग कर दिया था। अधिनियम की धारा 12 (5) के क एवं ग तहत अभिलेख इंगित करता है हालांकि यह विषयवस्तु नहीं है, रिकॉर्ड इंगित करता है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने पर आपत्ति जताई थी ।

XXX XXX XXX

23. हम इस बात से सहमत होने में असमर्थ हैं कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (पूर्वोक्त) में निर्णय को पूर्वोक्त आधार पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। उक्त निर्णय ने आधिकारिक रूप से माना था कि अधिनियम की धारा 12(5) के क एवं ग प्रावधान के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 12(5) के तहत मध्यस्थ की अयोग्यता को केवल लिखित रूप में एक अभिव्यक्त अनुबंध द्वारा माफ किया जा सकता है और दोनों पक्षों के आचरण से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार, तथ्य यह है कि पार्टियों ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण से पहले भाग लिया था, मध्यस्थ की अयोग्यता पर आपत्ति करने के लिए उनके अधिकारों की छूट के रूप में नहीं समझा जा सकता है। हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि जबकि इस तरह के अधिकार का प्रयोग अधिनिर्णय के वितरण से पहले किया जा सकता है, यह उसके बाद समाप्त हो जाएगा। यदिमध्यस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान किया गया मध्यस्थ अधिनिर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना होगा।"

35. इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थियों का यह तर्क कि याचिकाकर्ता ने धारा 12 (5) के प्रावधान के तहत मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने के अपने अधिकार को आचरण द्वारा माफ कर दिया है, कानून में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। छूट के तर्क के अगले हिस्से पर आते हुए, प्रत्यर्थियों द्वारा मध्यस्थ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दिए गए बयान पर भारी निर्भरता रखी गई थी कि याचिकाकर्ता नियुक्ति पर आपत्ति छोड़ रहा था। यह मुद्दा ***लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (उपरोक्त)*** मामले में इस न्यायालय की एक पीठ के समक्ष विचार के लिए आया, जिसमें याचिकाकर्ता ने 1996 के अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन दायर किया था जिसमें इस आधार पर मध्यस्थ के जनादेश को समाप्त करने की मांग की गई थी कि प्रत्यर्थी ने एकतरफा रूप से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था और शिकायत धारा 12(5) और धारा 12(5) के निर्णयों पर आधारित थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ***पर्किन्स (पूर्वोक्त), भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** और ***हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बनाम पैन इंडिया कंसल्टेंट्स मामले में प्रा. लि., ए. आई. आर. 2021 एस. सी. 653***। याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थ के समक्ष दी गई सहमति पर प्रत्यर्थी द्वारा याचिका का विरोध किया गया था, जिसे एक प्रक्रियात्मक आदेश में दर्ज किया गया था। विवाद यह था कि मध्यस्थ को सहमति दी गई थी कि दोनों पक्षों को 'मध्यस्थ न्यायाधिकरण' से कोई आपत्ति नहीं है, यह एकतरफा नियुक्ति की दलील के लिए यह खुला नहीं था। यह मानते हुए कि विद्वान मध्यस्थ कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थ है,

एकतरफा नियुक्ति होने के नाते, न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियात्मक सुनवाई में से एक में मध्यस्थ के समक्ष दिया गया यह बयान धारा के प्रावधान की प्रयोज्यता के लिए लिखित रूप में अभिव्यक्त छुट के तौर पर काम नहीं करेगा। 1996 अधिनियम की धारा 12(5) के तहत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ***भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 12(5) की प्रयोज्यता का परित्याग करते हुए 'अनुबंध की लिखित अभिव्यक्ति' होनी चाहिए। ***लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** में निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:-

> *"7. श्री सिंह, अनिवार्य रूप से दो तथ्यों पर याचिका के अपने विरोध की संभावना व्यक्त करते हैं। सबसे पहले, वह विद्वान 'मध्यस्थ न्यायाधिकरण' द्वारा पारित 5 अगस्त, 2019 के प्रक्रियात्मक आदेश की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें पैरा 5 इस प्रकार है:*
>
> > *"5. एकमात्र मध्यस्थ ने 'मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996' की धारा 12 के तहत घोषणा में उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में किसी भी न्यायोचित संदेह को जन्म देने वाली ऐसी किसी परिस्थिति में नहीं है। दोनों पक्षों ने पुष्टि की उन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण से कोई आपत्ति नहीं है।"*
>
> *8. दूसरा, श्री सिंह, याचिकाकर्ता से विद्वान मध्यस्थ को 3 दिसंबर, 2020 को भेजे गये संचार पर भरोसा करते है, जिसमें याचिकाकर्ता मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के लिए छह महीने के विस्तार के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है।*

9. इनमें से कोई भी विचार 1996 के अधिनियम की धारा 12(5) की प्रयोज्यता के लिखित रूप में स्पष्ट छूट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। वास्तव में, समय बढ़ाने के अनुरोध के संबंध में विवाद सहित इसी तरह की दलीलें धारा 12(5) के परित्याग के रूप में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं और जे. एम. सी. प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम.इंड्योर प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ से स्पष्ट है।

10. इसलिए, विद्वान मध्यस्थ को स्पष्ट रूप से विधिगत तौर पर कार्यवाही जारी रखने में असमर्थ माना गया है।"

36. ***स्कोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (उपरोक्त)*** में इस न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा भी यही विचार लिया गया था और प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

*"**29.** क एवं ग अधिनियम की उप-धारा 12 (5) के परंतुक के संदर्भ में, दोनों पक्षों द्वारा अधिनियम की धारा 12 (5) की प्रयोज्यता का परित्याग किया जा सकता हैं। हालांकि, उक्त छूट (i) उत्पन्न होने वाले विवादों के बाद; और (ii) "अनुबंध की लिखित अभिव्यक्ति" के माध्यम से बनाया गया।*

***30.** बेशक, इस मामले में, पार्टियों के बीच कोई लिखित अनुबंध नहीं है, जिसके तहत याचिकाकर्ता क एवं ग अधिनियम की धारा 12 (5) की प्रयोज्यता के परित्याग लिए सहमत हो गया है।*

***31.** यह न्यायालय यह भी स्वीकार करने में असमर्थ है कि मध्यस्थ द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही इस मामले के तथ्यों में इस तरह के एक स्पष्ट समझौते का गठन करेगी। याचिकाकर्ता ने बताया था कि उस तारीख को, उसके प्रतिनिधियों को किसी वकील द्वारा सहायता नहीं दी गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि दिन की कार्यवाही, जो पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हैं, गलत तरीके से दर्ज करती है कि याचिकाकर्ता को विद्वान मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई आपत्ति नहीं थी। याचिकाकर्ता*

ने विद्वान मध्यस्थ की नियुक्ति का नोटिस प्राप्त होने के तुरंत बाद इस तरह की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी।"

37. इसलिए, उपरोक्त सभी निर्णयों का तात्पर्य स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह है कि धारा 12(5) की प्रयोज्यता को माफ करते हुए लिखित अनुबंध धारा 12(5) की कठोरताओं से बाहर निकलने के लिए वैधानिक अनिवार्यता है और इससे कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा। जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में कहा गया है, कोई भी आचरण, चाहे वह कितना भी व्यापक या सूचक हो या मध्यस्थ के समक्ष बयान भी 'अनुबंध की लिखित अभिव्यक्ति' को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है और धारा 12(5) के तहत परिकल्पित समझौते के बिना, कानून का संचालन एकतरफा नियुक्ति को अमान्य कर देगा। इसलिए, यह न्यायालय प्रत्यर्थी के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता है कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति पर अपनी आपत्ति खत्म करने संबंधी बयान द्वारा परित्याग किया जाएगा। इसे इस तथ्य के आलोक में भी देखने की आवश्यकता होगी कि जैसे ही याचिकाकर्ता को तीन नामों के एक पैनल का सुझाव देते हुए संचार प्राप्त हुआ, उसने लिखित रूप में जवाब दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रस्तावित पैनल स्वीकार्य नहीं था और इसके बाद मध्यस्थ को इसी तरह का संचार भेजा गया था।

38. यह मुझे प्रत्यर्थीयों के तर्क के अगले मुद्दे पर ले जाता है कि 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत एक याचिका में एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति से जुड़ी कथित अयोग्यता के आधार पर आक्षेपित अधिनिर्णय को

चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। यह अब अनिर्णीत विषय नहीं है कि एक मध्यस्थ द्वारा प्रदान किया गया अधिनिर्णय, जो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य है, एक मध्यस्थ अधिनिर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता और इस प्रकार पक्षों पर बाध्यकारी नहीं है. ***गोविंद सिंह (पूर्वोक्त)*** में, खंड पीठ ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया: -

> *"21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, शेष प्रश्न यह है कि क्या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य व्यक्ति द्वारा दिया गया मध्यस्थता निर्णय वैध है या पक्षकारों के लिए बाध्यकारी है। स्पष्ट रूप से, उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य व्यक्ति द्वारा दिए गये मध्यस्थता निर्णय को, मध्यस्थता निर्णय नहीं माना जा सकता है। मध्यस्थ की अयोग्यता उसके अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाती है। स्पष्ट रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया एक मध्यस्थ अधिनिर्णय जिसमें निहित अधिकार क्षेत्र का अभाव है, को वैध नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त दृष्टिकोण में, विवादित अधिनिर्णय को पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना होने के रूप में अलग किया जा सकता है।*
>
> *XXX XXX XXX*
>
> *23. हम इस बात से सहमत होने में असमर्थ हैं कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (पूर्वोक्त) में निर्णय के आधार पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। उक्त निर्णय ने आधिकारिक रूप से माना था कि क और ग अधिनियम की धारा 12(5) के प्रावधान के संदर्भ में, क एवं ग अधिनियम की धारा 12(5) के तहत मध्यस्थ की अयोग्यता को केवल लिखित अनुबंध के द्वारा परित्याग किया जा सकता है और यह पक्षकारों के व्यवहार से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार, तथ्य यह है कि पार्टियों ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण से पहले भाग लिया था, मध्यस्थ की अयोग्यता पर आपत्ति करने के लिए उनके अधिकारों की छूट*

के रूप में नहीं समझा जा सकता है(रों). हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि जबकि इस तरह के अधिकार का प्रयोग अधिनिर्णय के वितरण से पहले किया जा सकता है, यह उसके बाद समाप्त हो जाएगा. यदि मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य है तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान किया गया मध्यस्थ अधिनिर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना होगा।"

39. पूर्वोक्त निर्णय से, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ की अयोग्यता अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाती है और अधिनिर्णय को दूषित करती है। इस विकलांगता की सीमा ऐसी है कि ***कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** में हाल के एक फैसले में, इस न्यायालय की खंड पीठ ने मध्यस्थ अधिनिर्णय के निष्पादन के चरण में हस्तक्षेप किया था और विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया अधिनिर्णय जो धारा 12(5) के आधार पर मध्यस्थ के तौर पर कार्य करने के लिए अयोग्य है, एक शून्यता है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

40. हालाँकि यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि आक्षेपित अधिनिर्णय को एक मध्यस्थ के तौर पर कार्य करने के लिए विद्वान मध्यस्थ की अयोग्यता के आधार पर अलग किया जा रहा है, इसलिए पक्षों को किसी अन्य मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अपने दावों/जवाबी दावों को नए सिरे से दोहराने से नहीं रोका जा रहा है। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने पक्षों के बीच विवादों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

41. दोनों याचिकाओं पर अनुमति दी जाती है और लंबित आवेदनों के साथ उनका निपटारा किया जाता है।

<u>मू.वि.या.(वाणिज्य) (प्रवर्तन) 134/2022 और नि.आ. (मू.वा.) 3191-92/2022</u>

42. चूंकि विवादित पुरस्कारों को अलग कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान प्रवर्तन याचिका में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है। लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाता है।

न्या. ज्योति सिंह

18 दिसम्बर, 2023 /केकेएस/शिवम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*